दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 24.03.2015 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति	अध्यक्ष
2.	अधिष्ठाता– कृषि संकाय	सदस्य
3.	अधिष्ठाता– वाणिज्य संकाय	"
4.	अधिष्ठाता– विधि संकाय	"
5.	अधिष्ठाता– औषधि संकाय	"
6.	अधिष्ठाता– विज्ञान संकाय	"
7.	अधिष्ठाता– शिक्षा संकाय	"
8.	अध्यक्ष– संस्कृत विभाग	"
9.	अध्यक्ष– हिन्दी विभाग	"
10.	अध्यक्ष– उर्दू विभाग	"
11.	अध्यक्ष– अंग्रेजी विभाग	"
12.	अध्यक्ष– दर्शनशास्त्र विभाग	"
13.	अध्यक्ष– मनोविज्ञान विभाग	"
14.	अध्यक्ष– शिक्षाशास्त्र विभाग	"
15.	अध्यक्ष– अर्थशास्त्र विभाग	"
16.	अध्यक्ष– राजनीतिशास्त्र विभाग	"
17.	अध्यक्ष– प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग	"
18.	अध्यक्ष– समाजशास्त्र विभाग	"
19.	अध्यक्ष– भूगोल विभाग	"
20.	अध्यक्ष– वाणिज्य विभाग	"
21.	अध्यक्ष– व्यवसाय प्रशासन विभाग	"
22.	अध्यक्ष– विधि विभाग	"
23.	अध्यक्ष– भौतिकी विभाग	"
24.	अध्यक्ष– रसायनशास्त्र विभाग	"
25.	अध्यक्ष– वनस्पतिविज्ञान विभाग	"
26.	अध्यक्ष– प्राणिविज्ञान विभाग	"
27.	अध्यक्ष, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग	"
28.	अध्यक्ष– गृहविज्ञान विभाग	"
29.	अध्यक्ष– जैव प्रौद्योगिकी विभाग	"
30.	अध्यक्ष– इलेक्ट्रानिक्स विभाग	"
31.	अध्यक्ष– कम्प्यूटर साइंस विभाग	"
32.	अध्यक्ष, प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग	"
33.	प्रो0 जनार्दन, हिन्दी विभाग	"
34.	प्रो0 अनिल कुमार राय, हिन्दी विभाग	"
35.	प्रो0 मंजू त्रिपाठी, हिन्दी विभाग	"
36.	प्रो0 (श्रीमती) विनोद सोलंकी, अंग्रेजी विभाग	"
37.	प्रो0 ए0के0 सिंह, दर्शनशास्त्र विभाग	"
38.	प्रो0 दीप नारायण यादव, दर्शनशास्त्र विभाग	"
39.	प्रो0 सुशील कुमार तिवारी, दर्शनशास्त्र विभाग	"
40.	प्रो0 द्वारका नाथ, दर्शनशास्त्र विभाग	"
41.	प्रो0 अनुपम नाथ त्रिपाठी, मनोविज्ञान विभाग	"

42. प्रो0 राजवन्त राव, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग ,,
43. प्रो0 एस0के0 दीक्षित, भूगोल विभाग ,,
44. प्रो0 फिरतू राम, भूगोल विभाग ,,
45. प्रो0 के0एन0 सिंह, भूगोल विभाग ,,
46. प्रो0 रामबरन पटेल, भूगोल विभाग ,,
47. प्रो0 अवधेश कुमार तिवारी, वाणिज्य विभाग ,,
48. प्रो0 विनय कुमार पाण्डेय, वाणिज्य विभाग ,,
49. प्रो0 आनन्दसेन गुप्ता, वाणिज्य विभाग ,,
50. प्रो0 श्रीवर्धन पाठक, वाणिज्य विभाग ,,
51. प्रो0 रवि प्रताप सिंह, वाणिज्य विभाग ,,
52. प्रो0 संजय बैजल, वाणिज्य विभाग ,,
53. प्रो0 अमरेन्द्र कुमार मिश्र, विधि विभाग ,,
54. प्रो0 सुग्रीव नाथ तिवारी, भौतिकी विभाग ,,
55. प्रो0 बलिराम प्रसाद बर्नवाल, रसायनशास्त्र विभाग ,,
56. प्रो0 ओ0पी0 पाण्डेय, रसायनशास्त्र विभाग ,,
57. प्रो0 वी0एन0पाण्डेय, वनस्पतिविज्ञान विभाग ,,
58. प्रो0 सी0पी0एम0 त्रिपाठी, प्राणिविज्ञान विभाग ,,
59. प्रो0 आर0एन0 सिंह, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग ,,
60. प्रो0 हरिशरण, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग ,,
61. प्रो0 एन0पी0 भोक्ता, शिक्षाशास्त्र विभाग ,,
62. प्रो0 शैलजा सिंह, शिक्षाशास्त्र विभाग ,,
63. प्रो0 सुमित्रा सिंह, शिक्षाशास्त्र विभाग ,,
64. प्राचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर ,,
65. डॉ0 जितेन्द्र मिश्र, उपाचार्य–विधि विभाग ,,
66. डॉ0 जे0ए0वी0 प्रसादा राव, उपाचार्य– जैव प्रौद्योगिकी विभाग ,,
67. डॉ0 सरिता पाण्डेय, उपाचार्य– शिक्षाशास्त्र विभाग ,,
68. डॉ0 उदय सिंह, शिक्षाशास्त्र विभाग ,,
69. डॉ0 कमलेश कुमार गौतम, प्रा0इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग ,,
70. कुलसचिव सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने विद्या परिषद् के सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया एवं सहयोग करने की अपेक्षा की। तत्पश्चात् निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार किया गया–

बिन्दु संख्या		प्रस्ताव एवं निर्णय
1.		विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 28.01.2015 की कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार। विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 24.03.2015 की कार्यसूची के बिन्दु संख्या 3 एवं 4 को भी इसी के साथ कर विचार किया गया। **विद्या परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 28.01.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि को निम्नलिखित संशोधन के साथ करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया–**
	1.	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 28.01.2015 की बिन्दु संख्या 3 एवं 4 (कृषि संकाय परिषद् की बैठक) संकाय परिषद् के गठन सम्बन्धी कुलपति जी के आदेश दिनांक 02.02.2005 सम्बन्धी संशोधन परिनियमावली में समाहित न होने के कारण इस बिन्दु को कृषि संकाय परिषद् को इस निर्देश के साथ वापस किया जाता है कि कृषि

		संकाय परिषद् का गठन परिनियमावली के अनुसार विधिवत् करने के उपरान्त उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाय।
	2.	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 28.01.2015 की बिन्दु संख्या बिन्दु सं0 17 (1) को निम्न रूप में पढ़ा जाय– श्री राजशेखर यादव, योग प्रशिक्षक, योग अध्ययन एवं अभ्यास केन्द्र के प्रस्ताव दिनांक 16.01.2015 पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि योग डिप्लोमा से सम्बन्धित प्रस्ताव अध्यक्ष– दर्शनशास्त्र विभाग द्वारा सक्षम निकायों यथा– पाठ्यक्रम समिति एवं कला संकाय परिषद् के माध्यम से प्रस्तुत किया जाय, तभी विचार किया जाना सम्भव होगा। साथ ही अध्यक्ष–दर्शनशास्त्र विभाग नियमानुसार इसका विस्तृत विवरण एवं लेखा–जोखा भी प्रस्तुत करेंगे।
2.	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 28.01.2015 की बिन्दु संख्या 1 विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 14.10.2015 की स्थगित बिन्दु संख्या– 49, जो शोध अध्यादेश के माडल ड्राफ्ट से सम्बन्धित है, पर विचार किया। **सम्यक् विचारोरान्त विद्या परिषद् ने शोध अध्यादेश के माडल ड्राफ्ट की निम्नलिखित बिन्दुओं को संशोधित करते हुए एवं स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया–** 1. शोध अध्यादेश के माडल ड्राफ्ट के बिन्दु संख्या 8 (ब) में "व्यक्तिगत छात्र/छात्रा एवं शिक्षक पर निर्देशक का आवंटन/विनियोजन नहीं छोड़ा जायेगा" को विलुप्त कर दिया जाय। 2. शोध अध्यादेश के माडल ड्राफ्ट के बिन्दु संख्या 16 में "पूर्णरूपेण व्यवस्थित शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने के पूर्व शोधार्थी, के बाद "शोध कार्य से सम्बन्धित" शब्द जोड़ दिया जाय। 3. शोध अध्यादेश के माडल ड्राफ्ट के बिन्दु संख्या 29 के अन्त में "मा0 उच्च/उच्चतम् न्यायालय/यू0जी0सी0 के अधीन लागू होगा" शब्द जोड़ दिये जॉय। 3. शोध अध्यादेश के माडल ड्राफ्ट के बिन्दु संख्या 30 (ब) में मूल्यांकन के लिए रू0 500–00 और मौखिकी परीक्षा के अभ्यर्थी के मूल्यांकन के लिए रू0 400–00 के स्थान पर मूल्यांकन के लिए रू0 750–00 और मौखिकी परीक्षा के अभ्यर्थी के मूल्यांकन के लिए रू0 600–00 संशोधित कर लिया जाय।	
3.	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 28.01.2015 की स्थगित बिन्दु संख्या 2 कृषि संकाय परिषद् की बैठक दिनांक 16.10.2012 की संस्तुतियों पर विचार। **इस बिन्दु पर बिन्दु संख्या– 1 पर विचार किया जा चुका है।**	
4.	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 28.01.2015 की स्थगित बिन्दु संख्या 3 कृषि संकाय परिषद् की बैठक दिनांक 30.09.2013 की संस्तुतियों पर विचार। **इस बिन्दु पर बिन्दु संख्या– 1 पर विचार किया जा चुका है।**	
5.	प्रवेश समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 23.02.2015 में लिये गये निर्णयों से अवगत होना।	

	विद्या परिषद् प्रवेश समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 23.02.2015 में लिये गये निर्णयों से अवगत हुई तथा उसमें निम्न संसोधन के साथ अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया। **प्रवेश समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 23.02.2015 के बिन्दु संख्या : 1 (ङ) में "अतिरिक्त 60 सीटों की बढ़ोत्तरी" के स्थान "केवल 60 सीटों पर प्रवेश किया जाय" संशोधित माना जाय।**
6.	परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17.01.2015 में लिये गये निर्णयों से अवगत होना। **विद्या परिषद् परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17.01.2015 में लिये गये निर्णयों से अवगत होते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया।**
7.	परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 22.01.2015 में लिये गये निर्णयों से अवगत होना। **विद्या परिषद् परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 22.01.2015 में लिये गये निर्णयों से अवगत होते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया।**
8.	परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13.02.2015 में लिये गये निर्णयों से अवगत होना। **विद्या परिषद् परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13.02.2015 में लिये गये निर्णयों से अवगत होते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया।**
9.	विद्या परिषद् ने औषधि संकाय परिषद् की बैठक दिनांक : 14.02.2015 की संस्तुतियों पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् ने औषधि संकाय परिषद् की बैठक दिनांक : 14.02.2015 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया।**
10.	अध्यक्ष की अनुमति से सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत **परास्नातक उपाधि हेतु संशोधित अध्यादेश** को अधिष्ठाता–विज्ञान संकाय द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव

कुलपति

बिन्दु सं०: 10

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय

सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत परास्नातक उपाधि हेतु संशोधित अध्यादेश

1. **प्रस्तावना:** दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं शिक्षा संकाय के अन्तर्गत संचालित समस्त द्विवर्षीय परास्नातक उपाधि पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर के होंगे। परास्नातक प्रथम वर्ष में प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर तथा द्वितीय वर्ष में तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में प्रति सप्ताह तीस घण्टा/वादन शिक्षण के 13 सप्ताह की शिक्षण अवधि होगी।

2. **सेमेस्टर की कालावधि:**

प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर	– जुलाई से नवम्बर तक
द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर	– दिसम्बर से अप्रैल तक।

3. **प्रवेश:** दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित विषय में त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी प्रवेश के लिए अर्ह होंगे। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश , इस हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की वरीयता के अनुसार होगा।

4. **परीक्षा:**(i) परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सैद्वान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में अलग–अलग पचहत्तर प्रतिशत (75%) उपस्थिति अनिवार्य होगी। उपस्थिति में कोई भी शिथिलता विश्वविद्यालय के नियमानुसार अनुमन्य होगी।

(ii) पाठ्यक्रम के प्रत्येक प्रश्नपत्र (मौखिकी/प्रायोगिक सहित) का पूर्णांक 100/50 होगा। सेमेस्टर उत्तीर्ण करने के लिए उसके प्रत्येक सैद्वान्तिक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंकों के साथ सैद्वान्तिक प्रश्नपत्रों के योग में न्यूनतम 36% तथा मौखिकी/प्रायोगिक/प्रोजेक्ट कार्य में अलग से न्यूनतम 36% अंक पाना अनिवार्य होगा।

(iii) ऐसे विद्यार्थी जो सैद्वान्तिक प्रश्नपत्रों में से एक या अधिक में निर्धारित न्यनतम उत्तीर्णांक (20%) न प्राप्त किये हों, किन्तु उस सेमेस्टर के सभी सैद्वान्तिक प्रश्नपत्रों के योग का 36% या अधिक प्राप्त किये हों, वे अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत हो सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को अगले वर्ष की संगत सेमेस्टर की नियमित परीक्षा के साथ पिछले सेमेस्टर के उन प्रश्नपत्रों, जिनमें उन्हें 20% से कम अंक मिले हों, की भी परीक्षा देनी होगी और प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक 20% प्राप्त करना होगा।

(iv) ऐसे विद्यार्थी जो सैद्वान्तिक प्रश्नपत्रों में से प्रत्येक में 20% या अधिक अंक प्राप्त किये हों, किन्तु उस सेमेस्टर के सभी सैद्वान्तिक प्रश्नपत्रों के योग का 36% न प्राप्त किये हों,

Academic Council

वे भी अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत हो सकेंगे। इन्हें भी अगले वर्ष संगत सेमेस्टर की नियमित परीक्षा के साथ पिछले सेमेस्टर के अधिकतम दो प्रश्नपत्रों का चयन कर उसकी/उनकी परीक्षा देनी होगी और सम्बन्धित सेमेस्टर के सिद्धान्त प्रश्नपत्रों के योग का न्यूनतम 36% प्राप्त कर लेना होगा।

(v) प्रथम वर्ष में प्रविष्ट विद्यार्थी उसके दोनों सेमेस्टरों (प्रथम एवं द्वितीय) में शिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और कक्षा में न्यूनतम 75% उपस्थिति के साथ उनकी परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार, द्वितीय वर्ष में प्रविष्ट विद्यार्थी उसके दोनों सेमेस्टरों (तृतीय एवं चतुर्थ) में शिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और नियमानुसार उनकी परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकेंगे।

(vi) द्वितीय वर्ष की परीक्षा के उपरान्त यदि किसी विद्यार्थी का किसी भी (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ) सेमेस्टर की परीक्षा में बैक पेपर रह जाता है, तो वह उसे/उन्हें उसी कम में अगले वर्ष की सम्बन्धित सेमेस्टर की परीक्षा के साथ उत्तीर्ण कर सकता है। यह सुविधा केवल एक बार ही दी जायेगी। इस अवसर में भी अनुत्तीर्ण रहने के बाद विद्यार्थी अगले वर्ष भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में नियमित परीक्षा के साथ उक्त सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।

(vii) प्रथम या द्वितीय वर्ष के किसी सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण भूतपूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) को उक्त सेमेस्टर की परीक्षा नहीं देनी होगी। उसके उस सेमेस्टर के अंक संरक्षित(Reserve) रहेंगे, जिसे वह उत्तीर्ण कर चुका है।

(viii) किसी सेमेस्टर की प्रायोगिक/मौखिकी/प्रोजेक्ट वर्ष की छूटी हुई परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय के नियमानुसार एक अवसर और दिया जायेगा।

(ix) प्रथम सेमेस्टर के किसी भी प्रश्नपत्र की परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(x) प्रथम/तृतीय सेमेस्टर उत्तीर्ण, किन्तु द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले विद्यार्थी अगले वर्ष द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर में शिक्षण प्राप्त कर उसकी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

(xi) परीक्षाफल प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के प्राप्तांकों के योग के आधार पर निम्नलिखित मानक के अनुसार घोषित किया जाायेगा:–

प्रथम श्रेणी : पूर्णांक का 60% या उससे अधिक अंक प्राप्तांक पर;
द्वितीय श्रेणी : पूर्णांक का 48% या उससे अधिक किन्तु 60%से कम अंक प्राप्तांक पर;
तृतीय श्रेणी : पूर्णांक का 36% या उससे अधिक किन्तु 48%से कम अंक प्राप्तांक पर।